-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा साधु/संत का भेष धारण कर चोरी/टप्पेबाजी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/टप्पेबाजी के 75.2 हजार रुपए नकद, अवैध तमंचा सहित घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन आदि बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा साधु-संत का भेष धारण कर चोरी/टप्पेबाजी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि जनपद फतेहपुर के रहने वाले मनीष साहू ने थाना तिंदवारी पर सूचना दी कि दिनांक 18.06.2026 को फतेहपुर से बांदा जाते समय बेंदाघाट चौराहे के पास साधु के भेष में एक व्यक्ति मिला और लालच देते हुए रुपए दोगुना करने की बात करने लगा इसी दौरान एक चारपहिया वाहन से 02 व्यक्ति आकर मेरे गाड़ी में रखे 50 हजार रुपए चोरी कर लिये और उसी चारपहिया वाहन में तीनों बैठकर चले गए बाद में जब देखा तो गाड़ी से रुपए गायब थे। सूचना पर थाना तिंदवारी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकि साक्ष्यों का संकलन एवं विश्लेषण करते हुए, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 19/20.06.2026 की रात्रि को थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले 03 अभियुक्तों को भिडौरा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे के चोरी/टप्पेबाजी के 75 हजार 200 रुपए नकद एवं अभियुक्त अजय नाथ पुत्र राधे नाथ के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हुए। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वे सभी साधु-संत का भेष धारण कर विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तथा स्वयं को धार्मिक एवं आध्यात्मिक व्यक्ति बताकर लोगों का विश्वास जीतते हैं तथा उन्हे रुपए दोगुना/धनवृद्धि करने का झांसा देकर उनके रुपए एवं कीमती आभूषणों आदि की चोरी/टप्पेबाजी करके फरार हो जाते हैं। साथ ही पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि कुछ दिनो पूर्व बांदा शहर स्टेशन के पास एक महिला को झांसा देकर उसके आभूषणों की चोरी/टप्पेबाजी करके भाग गये थे। पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बरामद सभी माल व घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन को भी कब्जे में लिया गया। इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा और गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों और कितने से लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है साथ ही इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 75200/ रुपए नकद (चोरी/टप्पेबाजी के)
- 01 चारपहिया (चोरी/टप्पेबाजी में प्रयुक्त)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय नाथ पुत्र राधे नाथ निवासी पिंगरी थाना फरह जनपद मथुरा।
2. नवाब नाथ पुत्र खजान नाथ निवासी विसरख सेक्टर-1 थाना विसरख जनपद गौतमबुद्ध नगर।
3. गौरव नाथ पुत्र सुरेश नाथ निवासी अछेजा थाना हसनपुर जनपद पलवल (हरियाणा)।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 127/26 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 316/26 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार पटेल थानाध्यक्ष तिंदवारी
2. श्री संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी बेंदाघाट
3. उ0नि0 श्री गजेन्द्र
4. हे0कां0 शम्स इबरार
5. कां0 मनोज कुमार
6. कां0 अब्दुल सलीम
7. रि0कां0 आकाश